

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं04(01)चिस्वा/2/2023/ओ-128

जयपुर, दिनांक:

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषय:- डॉ0 ओमप्रकाश नायक, उप निदेशक, जनाना चिकित्सालय, जयपुर को विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि डॉ0 ओमप्रकाश नायक, उप निदेशक, जनाना चिकित्सालय, जयपुर जो 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.01.2024 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, डॉ0 ओमप्रकाश नायक,, के विरुद्ध आज तक :-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ0 ओमप्रकाश नायक, के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीया

(निमिषा गुप्ता)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
- 2-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।
- 3- डॉ0 ओमप्रकाश नायक, उप निदेशक, जनाना चिकित्सालय, जयपुर।
- 4-रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।

सहायक शासन सचिव

Signature valid



Digitally signed by Nimsha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.11.03 17:27:55 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि0अ0/ओ-128/2023/ 565

दिनांक : 03/11/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 03.11.2023 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोन जयपुर।
3. अधीक्षक जनाना चिकित्सालय जयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ0ओमप्रकाश नायक, उप निदेशक के विरुद्ध निदेशालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं है। अपने स्तर पर अभिलेख की जाँच कर कार्यवाही करे।
4. डॉ0ओमप्रकाश नायक, उप निदेशक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटीसी/डीपीसी मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि विभागीय बेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
5023606

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :07-11-2023 02:09:14